समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 28 August 2026

पिछले 8 वर्षों मे 162 नाबालिगों को आगरा जेल मे भेजा गया, पुलिस की उम्र वेरिफिकेशन व्यवस्था फेल

Publisher

Published on 15 Oct 2025

आगरा में पिछले 8 वर्षों के भीतर 162 नाबालिगों को जेल भेजे जाने का मामला आरटीआई के माध्यम से सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने इन नाबालिगों को आगरा की जेल में भेजा, जबकि उम्र की पुष्टि करने में वे पूरी तरह असफल रही। यह खुलासा कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर सवाल खड़ा करता है।

आरटीआई में प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन 162 नाबालिगों को जेल भेजते समय पुलिस ने उनकी वास्तविक उम्र की जांच नहीं की। नाबालिगों के जेल में भेजे जाने के पीछे कई बार यह संभावना जताई जा रही है कि पुलिस अधिकारियों ने फॉर्मलिटी पूरी करने में लापरवाही बरती। ऐसे मामलों में नाबालिगों की सुरक्षा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।

आगरा के डीसीपी सोनम कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस आरटीआई और इसके निष्कर्षों के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। उनका यह बयान इस मामले की गंभीरता और प्रशासनिक निगरानी की कमी को उजागर करता है। पुलिस की उम्र वेरिफिकेशन प्रणाली में कमजोरी ने न केवल नाबालिगों के अधिकारों का उल्लंघन किया है, बल्कि न्यायपालिका और समाज में भरोसे को भी प्रभावित किया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नाबालिगों को जेल भेजने से पहले उनकी उम्र की सही पुष्टि करना अनिवार्य है। भारत में नाबालिग न्याय कानून के तहत किसी भी बच्चे को 18 साल से कम उम्र में कारावास में डालना कानूनी रूप से गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में जेल भेजे गए बच्चों का पुनर्वास और उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है।

आरटीआई में यह भी सामने आया है कि इन 8 वर्षों में नाबालिगों की संख्या लगातार बनी रही, जिसका मतलब है कि पुलिस द्वारा उम्र वेरिफिकेशन में सुधार नहीं किया गया। नाबालिगों को जेल भेजने के बजाय उनकी सुरक्षा और पुनर्वास पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों की उम्र का सही मूल्यांकन न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि मानवाधिकारों की सुरक्षा का भी मुद्दा है।

नागरिक अधिकारों के विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस की यह विफलता गंभीर है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग न्याय प्रणाली में लापरवाही, बच्चों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है और भविष्य में समाज में असामाजिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकती है।

इस मामले ने आगरा और देशभर में नाबालिग न्याय प्रणाली की कमजोरी को उजागर किया है। जेल प्रशासन, पुलिस और सामाजिक संगठनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नाबालिग को उम्र की पुष्टि के बिना जेल न भेजा जाए। इसके लिए तकनीकी और डॉक्यूमेंटेशन की मजबूत व्यवस्था होना आवश्यक है।

आगरा जेल में भेजे गए नाबालिगों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार और न्यायपालिका को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए और नाबालिगों के लिए अलग से पुनर्वास केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आरटीआई एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए प्रशासनिक विफलताओं और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों को उजागर किया जा सकता है। नाबालिगों की सुरक्षा, उनका पुनर्वास और सही उम्र वेरिफिकेशन के उपाय अब प्रशासन के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।

आरटीआई में सामने आई यह जानकारी न केवल आगरा पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि पूरे देश में नाबालिग न्याय व्यवस्था और पुलिस निगरानी की समीक्षा का आग्रह भी करती है। यह मामला नाबालिगों के अधिकारों और सुरक्षा के महत्व को दोहराता है और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है।

इस तरह, पिछले 8 वर्षों में आगरा जेल भेजे गए 162 नाबालिगों का खुलासा प्रशासनिक विफलता और नाबालिगों के अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर संकेत है। सरकार, पुलिस और न्यायपालिका को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी भी नाबालिग के साथ ऐसा न हो और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा की जाए।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.